न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 36 / 2023

श्री छुट्टन मल जैन निवासी वार्ड नं. 45 सोनियों का दरवाजा माणक चौक पुरानी टोंक राज0

--अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार पीपलू (भू0अ0) जिला-टोंक

--प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 13.12.2023**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार पीपलू (भू0अ0), जिला-टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 10.07.2023 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही गई थी :-

चाही गई कटौतियों का विवरण

संबंधित कार्यालय का नाम	अवधि	राशि
तहसीलदार (भू0अ0) पीपलू जिला टोंक	DA+IR एरियर 4/96 से 9/96 जमा वर्ष 1996-97	2139
	बोनस एरियर ब्लॉक वर्ष 95-96	1814
	वेतन कटौति माह फरवरी 97 टी.वी.नं. 9197/15.03.1997	4900
	वेतन कटौति माह अगस्त 97 टी.वी.नं. 3609/30.08.1997	1020
	वेतन कटौति माह दिसम्बर 97 टी.वी.नं. 6108/06.01.1998	1020

उपरोक्त कटौतियां मेरे वेतन में से आपके अधीनस्थ कार्यालय में मेरे जीपीएफ खाता सं. 186344 में कटौति हुई जिसका इन्द्राज आपके कार्यालय मेरी जीपीएफ पासबुक में किया गया । तालिका में अंकित कटौतियों की जीपीएफ पासबुक की फोटो प्रति संलग्न कर रहा हूं। उपरोक्त कटौतियां का भुगतान सेवानिवृति पर मुझे प्राप्त नहीं हुआ। बकाया राशि प्राप्त करने हेतु सहायक निदेशक राज्य बीमा एवं प्रा नि विभाग टोंक में दावा प्रस्तुत किया। उपरोक्त कटौतियों के GA55A अथवा (शड्यूल) की प्रतियां मय बिल सं. दिनांक टी.वी. नम्बर व भुगतान तिथी सहित विवरण अंकित करते हुए उपलब्ध करावें। ताकि बकाया राशि का भुगतान जीपीएफ कार्यालय टोंक से प्राप्त कर सकूं। जीपीएफ विभाग टोंक ने अपने पत्र क्रमांक 5465 दिनांक 14.10.22 द्वारा तालिका में अंकित कटौतियों के कटौति पत्र/जीए55ए/शेड्यूल की प्रतिया उपलब्ध करवाने को लिखा है। इस लिये मे आपके कार्यालय में आरटीआई अधिनियम के तहत दस्तावेज मांग रहा हूं। (पत्र कमांक 5465 की प्रति संलग्न है)

जिला कलेक्टर
टोंक

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार (भू0अ0) पीपलू जिला–टोंक को पत्र क्रमांक 1008 दिनांक 26.10.2023, 1058 दिनांक 9.11.2023 व 1079 दिनांक 28.11.2023 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार (भू0अ0) पीपलू जिला–टोंक द्वारा पत्र क्रमांकः 3724 दिनांक 07.12.2023 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही सूचना अपीलार्थी को दिनांक 16.08.2023 को उपलब्ध करवा दी गई है, जिस पर प्रार्थी द्वारा सूचना प्राप्त करने के हस्ताक्षर है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार (भू0अ0) पीपलू तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. ओमप्रकाश बैरवा)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक